न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती छायासिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-- 51 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
शेराराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी बांकासर, सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।		1 बागाराम पुत्र गुमनाराम 2. भारूराम पुत्र दमाराम 3. चोलाराम पुत्र खंगाराराम 4. मीरोंदेवी पत्नी खंगाराराम जातियान जाट निवासीयान बांकासर, सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री केसाराम चौधरी वकील वादी पक्ष।
2. श्री कुम्भाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01
3. श्री छैलसिंह वकील प्रतिवादी संख्या 03 व 04

निर्णय

दिनांक 17/11/25

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 फूसाराम के वंशज है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 797 रकबा 4.1602 हेक्टेयर, खसरा संख्या 895 / 794 रकबा 3.2779 हेक्टेयर व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 782 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, खसरा संख्या 803 रकबा 0.4047, खसरा संख्या 942 / 783 रकबा 1.7078 हेक्टेयर, खसरा संख्या 946 / 799 रकबा 1.7159 हेक्टेयर के आए हुए हैं। उक्त विवादित भूमि में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वजो को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी जिस पर वक्त सेटलमेंट से वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वजा का कब्जा काश्त रहा तथा उनके फौत होने के पश्चात वारिश वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम इन्द्राज हुआ तथा गवरी पत्नी दमा फौत हो चुकी है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उसका नाम अंकित हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में खसरा संख्या 797 व 895 / 794 में वादी का 1 / 6 हिस तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1 / 6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का संयुक्त रूप से 1 / 6 हिस्सा तथा खसरा संख्या 782, 803, 942 / 783, 946 / 799 में वादी का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का संयुक्त रूप से 1 / 3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहें तथा इसी हिस्सा के माफिक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 काबिज होकर काश्त करते आ रहें हैं। वादग्रस्त आराजी जो कि संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है जिसमें वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुए नहीं है इस कारण खेत के हिस्से को लेकर विवाद की स्थिति रहती हैं। वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 कब्जे काश्त व पुरानी माठों का तोड़कर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

दखलन्दाजी कर रहें है तथा भूमि का बिना किसी विधिवत बंटवाड़े के अन्यत्र बेचान कर वादी को उसके अधिकारों से महरूम करने पर उतारू है। वादग्रस्त भूमि में बाहमी तौर पर भूमि का विभाजन कर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नही होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है। लिहाजा मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 797 रकबा 4.1602 हेक्टेयर, खसरा संख्या 895/794 रकबा 3.2779 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 782 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, खसरा संख्या 803 रकबा 0.4047, खसरा संख्या 942/783 रकबा 1.7078 हेक्टेयर, खसरा संख्या 946/799 रकबा 1.7159 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने का आदेश फरमावें।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 797 रकबा 4.1602 हेक्टेयर, खसरा संख्या 895/794 रकबा 3.2779 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 से 04 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपति नही है।

उक्त वाद में बाद तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूतों व बहस तथा समूचित सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 08.04.2025 को पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर से भूमि विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/पीडी/2025/1421 दिनांक 29.07.2025 के जरिये भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव को उभय पक्षों द्वारा स्वीकार किया है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई, उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली व तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर गामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना कर तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। लिहाजा वादी का वाद, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का काउन्टर क्लेम व तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 797 रकबा 4.1602 हेक्टेयर, खसरा संख्या 895/794 रकबा 3.2779 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 782 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, खसरा संख्या 803 रकबा 0.4047, खसरा संख्या 942/783 रकबा 1.7078 हेक्टेयर, खसरा संख्या 946/799 रकबा 1.7159 हेक्टेयर भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन कर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

खाता संख्या	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
45	चोलाराम पुत्र खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार मीरो पत्नी खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	942/783 782	0.5800	बा.दो. व गैमु	0.21	हरा
45	भारू पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण एक्सिस बैंक शाखा बाडमेर	942/783	0.5801	बा.दो.	0.21	लाल
45	शेरा पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	942/783	0.5801	बा.दो.	0.21	नीला
45	चोलाराम पुत्र खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार मीरो पत्नी खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	946/799	0.5720	बा.दो.	0.21	हरा
45	भारू पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण एक्सिस बैंक शाखा बाडमेर	946/799	0.5720	बा.दो.	0.21	लाल
45	शेरा पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	946/799	0.5719	बा.दो.	0.21	नीला
45	चोलाराम पुत्र खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार मीरो पत्नी खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	803	0.1349	बा.दो.	0.5	हरा
45	भारू पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण एक्सिस बैंक शाखा बाडमेर	803	0.1349	बा.दो.	0.5	लाल
45	शेरा पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	803	0.1349	बा.दो.	0.5	नीला
46	चोलाराम पुत्र खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार मीरो पत्नी खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	797	0.6934	बा.दो.	0.26	हरा
46	भारू पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन	797	0.6934	बा.दो.	0.26	लाल

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

	हिस्सा पूर्ण एक्सिस बैंक शाखा बाडमेर					
46	शेरा पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	797	0.6933	बा.दो.	0.25	नीला
46	बागाराम पुत्र गुमनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	797	2.0801	बा.दो.	0.77	पीला
46	चोलाराम पुत्र खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार मीरो पत्नी खंगाराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	895/794	0.5463	बा.दो.	0.20	हरा
46	भारू पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा पूर्ण एक्सिस बैंक शाखा बाडमेर	895/794	0.5463	बा.दो.	0.20	लाल
46	शेरा पुत्र दमा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	895/794	0.5463	बा.दो.	0.21	नीला
46	बागाराम पुत्र गुमनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	895/794	1.6389	बा.दो.	0.60	पीला

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण निर्णय की पालना भूमि के रहन मुक्त होने पर करे। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(छायासिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 19/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर